

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-2230 / 2016 / अलवर

मैसर्स एपीक्यू एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा० लि०,
ई-419ए, रोड नं० 17, वी.के.आई. एरिया, जयपुर
वर्तमान पता :- एफ-31, एफ-37, फूड पार्क,
एमआई एरिया, अलवर
बनाम

अपीलार्थी

आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर

प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या-1127 / 2017 / अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत्त तृतीय, जयपुर
बनाम

अपीलार्थी

मैसर्स एपीक्यू एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा० लि०,
ई-419ए, रोड नं० 17, वी.के.आई. एरिया, जयपुर
वर्तमान पता :- एफ-31, एफ-37, फूड पार्क,
एमआई एरिया, अलवर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक
श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक

....व्यवहारी की ओर से

....राजस्व की ओर से

दिनांक : 22.06.2018

निर्णय

1. प्रस्तुत अपील संख्या 2230 / 2016 / अलवर अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "व्यवहारी" कहा जायेगा) द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 36 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 07.09.2016 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसमें व्यवहारी द्वारा अभिनिर्धारण हेतु पूछे गये विवादित प्रश्न का प्रार्थना पत्र इस कारण अस्वीकार कर दिया गया था कि प्रश्नगत बिन्दु पर कोई कार्यवाही सक्षम अधिकारी के समक्ष लम्बित थी।
2. अपील संख्या 1127 / 2017 / अलवर अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 96 / 99932111386 / आरवैट / 2016-17 / अपी. प्राधि. / अलवर में पारित आदेश दिनांक 15.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी

निरन्तर.....2

31

A

है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, विशेष वृत तृतीय, सम्भाग जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी (जिसे आगे "व्यवहारी" कहा जायेगा) के वर्ष 2010-11 हेतु पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.09.2016 में आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया गया है।


3. अपील संख्या 2230/2016/अलवर के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत विवादित प्रश्न के अभिनिर्धारण हेतु (determination of disputed question) प्रार्थना पत्र आयुक्त, वाणिज्यिक कर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें ये दो प्रश्न पूछे गये थे कि-

(i) क्या 'एप्पी फिज्ज' (Appy Fizz) फ्रूट ड्रिंक है तथा यह दिनांक 13.07.2014 तक अनुसूची-IV की प्रविष्टि 107 के अंतर्गत कर योग्य है ? तथा

(ii) क्या 'एप्पी फिज्ज' (Appy Fizz) फ्रूट ड्रिंक है तथा यह दिनांक 14.07.2014 से अनुसूची-V के अंतर्गत कर योग्य है ?

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा यह पाये जाने पर कि विचाराधीन विषय पर प्रार्थी के विरुद्ध धारा 25 के अधीन कार्यवाही बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 17.03.2016 को नोटिस जारी कर दिया गया है, अतः धारा 36(1) के उपबंधों के अनुसार ऐसा प्रार्थना पत्र निर्णयार्थ ग्राह्य नहीं होने के कारण इसे अस्वीकार किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 2230/2016/अलवर पेश की गई है।

4. अपील संख्या 1127/2017/अलवर के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2010-11 हेतु व्यवहारी का कर निर्धारण सम्पूरित करते हुए उसके द्वारा विक्रीत उत्पाद- Appy Fizz तथा Grappofizz को Aeraret water मानते हुए इस पर 01.04.2010 से 08.03.2011 तक की अवधि में इस पर Residual Rate of Tax मानते हुए 14 प्रतिशत तथा दिनांक 09.03.2011 से 31.03.2011 तक इसे अनुसूची-VI के अंतर्गत 15 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित करते हुए अन्तर करारोपण किया तथा निम्न दर से कर चुकाने के कारण इसे कर का परिवर्जन Avoidance of tax मानते हुए धारा 61 के अधीन कर की दुगुनी शास्ति भी आरोपित की।

5. इस आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय आदेश दिनांक 15.11.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।
6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रारम्भ करते हुए कथन किया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए उसके प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है, वह उचित नहीं है। द्वितीयतः उन्होंने अपीलीय आदेश दिनांक 15.11.2016 का समर्थन किया तथा बताया कि Appy Fizz पर करारोपण के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स ट्रेड लाईन्स बनाम केरल राज्य के निर्णय दिनांक 17.11.2014 का अनुसरण किया गया है जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Parle Agro (P) Ltd. Vs CCT, Trivandrum (2017) 106 VST 1 (SC): 2017 (352) ELT 113 (SC) के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 09.05.2017 के प्रकाश में माननीय केरला उच्च न्यायालय का वह निर्णय over rule हो चुका है। अतः उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त उद्धरित निर्णय के प्रसंग में व्यवहारी की अपील स्वीकार करने तथा विभागीय अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।
7. राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपील संख्या 2230/2016/अलवर में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि धारा 36(1) के प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष लम्बित हो या किसी कार्यवाही में अधिनियम की धारा 22, 24, 25 एवं 26 के अंतर्गत कोई कार्यवाही लम्बित हो तो ऐसे प्रकरणों का धारा 36 के अंतर्गत विनिश्चयन नहीं किया जा सकता है, अतः उन्होंने इस संबंध में व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की। अपील संख्या 1127/2017/अलवर के संबंध में उन्होंने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया तथा उसे अपास्त करने का निवेदन किया।
8. उभय पक्षों की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया।
9. जहां तक व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2230/2016/अलवर का प्रश्न है, इसमें धारा 36 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस कारण अस्वीकार किया गया है कि उस मामले में धारा 25 के अंतर्गत कार्यवाही पहले से ही

3/



निरन्तर.....4

लम्बित थी, अतः धारा 36(1) के स्पष्ट प्रावधानों के मध्यनजर व्यवहारी द्वारा विनिश्चयन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है, अतः यह अपील अस्वीकार योग्य है।

10. विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1127/2017/अलवर में विवाद का बिन्दु यह है कि क्या अपीलीय अधिकारी ने प्रश्नगत उत्पादों- Appy Fizz तथा Grappofizz को Aeraret water मानते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त करने में कोई त्रुटि की है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Parle Agro (P) Ltd. Vs CCT, Trivandrum (2017) 106 VST 1 (SC) के प्रकरण में Appy Fizz को केरला वैट अधिनियम की प्रविष्टि संख्या 71 के आइटम नं० 5 से आच्छादित होना मानते हुए इस पर कर की दर 12.5 प्रतिशत तय की है जबकि विभागीय अधिकारियों द्वारा इसे Aeraret branded soft drinks मानते हुए इस पर 20 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था। केरला वैट अधिनियम के अंतर्गत Aeraret water पर कर दर 12.5 प्रतिशत थी तथा Aeraret branded soft drinks पर कर की दर 20 प्रतिशत थी। उक्त प्रविष्टि संख्या 71 निम्नानुसार है :-

"71. Non-alcoholic beverages and their powders, concentrates and tablets in any form including:

(1) aerated water, soda water, mineral water, water sold in sealed containers or pouches;

(2) Fruit juice, fruit concentrates, fruit squash, fruit syrup and pulp and fruit cordial;

(3) Soft drinks other than aerated branded soft drinks

(4) Health drinks of all varieties;

(5) Similar other products not specifically mentioned under any other entry in this list or in any other Schedules."

11. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णीत किया है :-

"31. A bare perusal of Entry 71 as above indicates that the Entry covers non-alcoholic beverages and their powders, concentrates and tablets in any form including-Item No. 2 contains fruit juice, fruit concentrates, fruit squash, fruit syrup and pulp and fruit cordial. Soft drinks other than aerated branded soft drinks are included in Item No. 3. Health drinks of all varieties are included in Item No. 4 and similar other products not specifically mentioned under any other entry in this list or in any other Schedules were included in Item No. 5. The Entry of fruit juice

31

D

निरन्तर.....5

based drinks got subsumed in the residuary entry and the amendment by S.R.O. No. 119 of 2008 did not change or affect the character and content of the products which were included in Entry 71."

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया है कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार 10 प्रतिशत फ्रूट जूस वाले पेय पदार्थों को फ्रूट ड्रिंक की श्रेणी में माना जाता है। इस संबंध में उक्त निर्णय के पैरा 53, 54, 55 व 57 उल्लेखनीय हैं, जो निम्न प्रकार हैं :-


"53. Thus, according to the Government of India, Ministry of Food Processing Industries the product containing 10% of fruit juice are commonly known as fruit drinks. The Appellant has also filed the order of 19th August, 2015 issued by the Food Safety and Standards Authority of India, Ministry of Health & Family Welfare where following permission was granted by Food Safety and Standards Authority of India, Ministry of Health & Family Welfare by order dated 19th August, 2015:

"It is to inform you that you are now allowed to Manufacture, Store and Sale the product 'Appy Fizz' in pet bottles under the category 2.3.10 i.e. Thermally Processed Fruit Beverages/Fruit Drink/Ready to serve Fruit Beverages of Food Safety and Standards (Food Product Standards & Food Additives) Regulations, 2011 with name of the food item as Fruit Pulp or Fruit Juice based Drinks for which you are already holding a license."

54. The Committee of the Joint Commissioners while deciding the application Under Section 94 has noted the aforesaid orders passed by the Food Safety Authorities which were relied by the Appellant but it discarded the above said orders and opinion relying on the order passed by the Kerala High Court in the case of M/s. Trade Lines decided on 17.11.2014 and held that the product is taxable at the rate of 20% as per Sl. No. 2 of Section 6(1)(a).

55. What is the process for manufacture in accordance with the Food Safety and Standards Act, 2011 and the Regulations framed therein and what is the nature and characteristic of the product which has been licensed to be manufactured to the Appellant cannot be said to be an irrelevant factor while examining the nature and contents of the





निरन्तर.....6

product. Whether the product is an aerated branded soft drink or can be covered by residuary of Clause (5) of Entry 71 is a question on which the manufacture licence, orders issued by Food Safety and Standards Authority of India were relevant facts which were although cited before the Committee of Joint Commissioners but were brushed aside relying on the Kerala High Court's order in M/s. Trade Lines. We, thus, are of the opinion that the manufacture licence dated 19th August, 2015 granted to Appellant and the opinion of the Government of India, Ministry of Food Processing Industries dated 28.03.2005 were relevant for finding the nature of the product of the Appellant for the purpose of classification and the Committee of Joint Commissioners as well as High Court erred in not adverting to and considering the aforesaid material.

57. The above technical opinion clearly mentioned that carbon dioxide is used for preservation purpose only. Before the Committee of Commissioners the entire process of manufacture of the product was explained along with all relevant orders and certificates of Food Safety Authorities. It was stated that the Experts in their opinions and certifications have mentioned that product is commercially and technically distinct from products which have classified as 'aerated branded soft drinks'. The certifications which were relied by the Appellant indicate that in the case of 'Appy Fizz' the product does not undergo aeration or carbonation; the product is thermally processed with CO2 which help in preserving the Apple Juice concentrate which is otherwise perishable in nature."

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने Appy Fizz को Aerated branded soft drinks नहीं माना है, जो पैरा 63 में यथा उल्लेखित निम्नलिखित निर्णयांश से स्पष्ट है :-

".....Aerated branded soft drinks which are referred to in Section 6(1)(a) cannot be drinks which are health drinks. Fruit juice based drinks can be regarded as health drinks as compared to other aerated branded soft drinks like pepsicola, coca cola, etc. We are, thus, of the opinion that the Appellant has successfully proved by relevant scientific and technical materials that the product in question that is 'Appy Fizz' is a commodity which is fully covered by Item No. 5 of Entry 71 as amended by S.R.O. No.

3/


निरन्तर.....7


119 of 2008. The High Court discarded scientific and expert opinion with regard to manufacturing process and contents of the product. The orders of Food Safety Authority were also discarded which were relevant for considering the nature and contents of product. The adjudication by CESTAT was relevant at least on the aspect that the 'Appy Fizz' is not aerated which was also discarded by the High Court as well as by the Committee of the Commissioners. In view of the aforesaid discussion, we are of the considered opinion that the Appellant has successfully proved from the materials brought on the record that the product 'Appy Fizz' was required to be classified under Item No. 5 of the Entry 71 as amended with tax liability at 12.5% after amendment by S.R.O. No. 119 of 2008 (now at the rate of 14.5%)."

14. उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में 'Appy Fizz' जो अपीलार्थी द्वारा विक्रय किया गया है, वह माल पार्ले प्रोडक्ट का ही उत्पादित माल है जिसे *Fruit drinks* माना गया है तथा RVAT Act की Schedule IV की प्रविष्टि संख्या 107 (जैसे कि दिनांक 13.07.2014 तक प्रभावी रही) – "*Processed or preserved vegetables and fruits including fruit jam, pickle, fruit squash, paste, fruit drink and fruit juice, sharbat and thandai.*" के अनुसार *Fruit drinks* पर कर की दर 5 प्रतिशत ही थी। अतः प्रश्नगत उत्पाद जिसे कि सक्षम अधिकारी द्वारा *Aerated water* मानते हुए इस पर अन्तर कर @ 9% / 10% का आरोपण किया गया है वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार अविधिक है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इन उत्पादों की कर दर 5 प्रतिशत मानते हुए अतिरिक्त करारोपण को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है अतः अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य पाये जाने पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 1127/2017/अलवर अस्वीकार किये जाने योग्य है।

15. उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।


(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य


(कें. प्रसाद)
सदस्य